राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 33 राजस्व विभाग

दिनांक 06.06.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री ओ0पी0शर्मा जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में तथा फिर वर्ष 2015 में दिल्ली सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिये थे कि वे शीघ्रातिशीघ्र एसिड की बिक्री को लेकर 100 वर्षीय पुराने कानून के स्थान पर नया कानून लायें,	माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों के द्वारा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि भारत सरकार के माडल नियम के आधार पर एसिड एवं संक्षारक पदार्थों की बिक्री नियंत्रित करने के लिए नियम बनाये ।
ख	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में अभी भी विष अधिनियम 1919 लागू है,	विष अधिनियम, 1919 की धाराओं 2 और 8 के तहत Delhi Poisons Possession and Sale Rules, 2015, गृह विभाग, रा0रा0क्षे0, दिल्ली सरकार के द्वारा दिनांक 25–08–2017 को अधिसूचित किया गया था और इसकी प्रति विधान सभा के पटल पर रखने के लिए प्रेषित कर दिया गया है ।
ग	क्या इस कानून के अन्तर्गत एसिड की अवैध रूप से खरीद व बिक्री पर एसडीएम द्वारा सजा का प्रावधान है, और	दिल्ली में विष अधिनियम 1919 के अन्तर्गत "Delhi Poisons Possession and Sale Rules 2015" जिसकी अधिसूचना दिनांक 25/08/2017 को हुई है लागू है जिसके प्रावधानों के उल्लघंन पर विष अधिनियम 1919 की धारा 4(2) के अन्तर्गत सजा का प्रावधान है।
घ	यदि हाँ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?	

विकास पांडे 5/6/2018
उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

VIKAS PANDEY
Sub Divisional Magistrate (HQ.)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-54